श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था - क्रमांक : 102/1964-65

क्रमांक :

दिनांक : 07-11-2025

संघों में किसी भी प्रकार के सामूहिक आयोजन हेतु नियमावली नवम्बर 2025 (संशोधित)

मीटिंग, वार्षिक प्रोग्राम, तप, दीक्षा या अन्य सभी प्रकार के अभिनंदन, समापन, वरघोड़ा, सम्मान, प्रवचन स्थल, चातुर्मास आदि किसी भी तरह के संघ के प्रोग्राम में निम्न नियम लागू होंगे–

1. स्टेज पर लगातार रनिंग लाइट/रिफ्लेक्शन लाइट/डिस्को लाइट आदि नहीं होने चाहिए।
2. किसी भी पीपीटी, डीटीपी, एलइडी, फ़्लैक्स, बैनर, पोस्टर आदि में दीक्षार्थियों के अनावश्यक चित्र नहीं होंगे एवं अनावश्यक रूप से जगह–जगह पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स आदि नहीं लगेंगे (दिशा सूचक व स्थान सूचक के अलावा)।
3. स्टेज पर स्मोक आदि भी नहीं होना चाहिए।
4. स्वागत गीत/मंगलाचरण/भक्ति संगीत/भजन/नाटिका आदि में नृत्य नहीं होने चाहिए।
5. वरघोड़ा आदि में जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले रथ, सजावटी ऊँट–घोड़ा आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आवश्यकता हो तो बैंड–बाजा एक प्रकार का ही हो सकता है।
6. वाहनों के आगे– पीछे काँच पर, स्कूटर, टैक्सी, घरों आदि पर फोटों–बैनर, स्लोगन आदि न लगाएँ। (सूचना सम्बन्धी निर्देशों के अलावा)
7. किसी भी प्रसंग आदि पर विवरण संबंधी कोई पुस्तक, दीक्षा आमंत्रण पत्रिका आदि का प्रकाशन न हो।
8. दीक्षार्थी अभिनंदन कार्यक्रम में मंच पर मध्य स्थान पर मुख्य आकर्षण दीक्षार्थी का ही रहे, अगल–बगल में अतिथिगण हो सकते हैं।
9. यदि आवश्यकता हो तो दीक्षा के विज्ञापन में फोटो सामने चेहरे वाली, मुख वस्त्रिका सहित हाथ जोड़े मुद्रा वाली पासपोर्ट साइज़ फोटो ही हो एवं अन्य किसी की फोटो साथ में नहीं हो, अखबारों में विज्ञापन आधे पेज से अधिक का ना हो।
10. प्रवचन स्थलों पर कुर्सी के स्थान पर बेंचें (लकड़ी की हो तो उपयुक्त रहेगा)। इससे प्रमाद नहीं आएगा व स्थान की उपलब्धता बढ़ेगी।
11. आयोजन स्थल, प्रवचन स्थल, महापुरुषों के विराजने के स्थान, भोजन शाला के परिसरों में एवं आस–पास के क्षेत्र में भी सिर्फ़ लाभम के धार्मिक उपकरण व संघ साहित्य के अलावा कोई दुकानें नहीं लगे।
12. संघ से बिना अनुमति लिए कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी वस्तु का या प्रभावना का वितरण नहीं करे। सचित वस्तु की प्रभावना नहीं होगी। रास्ते में चलते हुए पानी के आलावा अन्य कोई भी खाने–पीने की वस्तु की प्रभावना संघ/संघ सदस्य नहीं करें।
13. महापुरुषों के विराजने के स्थान पर व प्रवचन स्थल पर नौ आचार्य भगवंतों, उपाध्याय प्रवर के नाम व वहाँ विराजित संत/सतियाँ जी के नाम के अलावा अनावश्यक कोई बैनर, पोस्टर, फ़्लेक्स नहीं लगावें।
14. साधुमार्गी संघ द्वारा आयोजित एवं प्रायोजित अभिनंदन, दीक्षार्थी अभिनंदन या भक्ति संध्या अथवा किसी भी प्रकार के कार्यक्रम जो साधुमार्गी जैन संघ द्वारा संपादित हो, किसी भी प्रकार के वाद्ययंत्र (हाथ से बजने वाले), इलेक्ट्रीक वाद्ययंत्र नहीं बजने चाहिए या नहीं होने चाहिए। संगीत संध्या के कार्यक्रम में पार्श्व धुन, संगीत (Background Music) भी नही बजना चाहिए। सिर्फ माइक का प्रयोग कर सकते है।
15. सभी कार्यक्रमों में होने वाले सामूहिक भोज में भोजन शाला वाले नियम ही लागू होंगे।
16. आयोजन स्थल पर यह नियमावली बड़े अक्षरों में लिखवाकर प्रदर्शित करें।
17. कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व ही इस आशय का संकल्प–पत्र भरकर हस्ताक्षर सहित केंद्रीय कार्यालय को प्रेषित करें।

उपरोक्त नियमों में समय के अनुसार बदलाव का अधिकार राष्ट्रीय संघ की समिति के पास सुरक्षित है ।

नरेन्द्र गांधी
राष्ट्रीय अध्यक्ष
9425108224 president@sadhumargi.com

सुरेश कुमार बच्छावत
राष्ट्रीय महामंत्री
9460589327 secretary@sadhumargi.com

राजेश कुमार जैन (बच्छावत)
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
9024881839 treasurer@sadhumargi.com